आवेदन क्रमांक : 50293

विद्यालय - Dundlod Public School (P74115)

मान्यता कोड : RJJDP34831

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक JODHPUR , राजस्थान

दिनांक 07/10/2024

क्रमांक: 526

सचिव

प्रबंध समिति

Dundlod Public School

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 एवं (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप– नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र|

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 50293 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Dundlod Public School पता Vill.- Soyla Teh.- Bawari Dist.- Jodhpur (Raj.) ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय SOYLA ब्लॉक BAWADIआसा पासा (पूर्व -पश्चिम,उत्तर दक्षिण) 17/411,3/411,3/412,8/411 खसरा न. 614/411,615/411को शैक्षिक सत्र 2024-25 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
विद्यालय का स्वीकृत मान्यता कक्षा स्तर	
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
3. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
4. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस – पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
6. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रियां का पात्र नहीं बनाएगा
7. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।

   विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा;

Signature valid
Digitally signed by Purushotam Rajpurohit
Designation : District Education Officer
Date: 2024.10.07 14:17:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10962294

Secretary
Sarvodaya Gramin Vikash Evem Anusandhan Sansthan

Principal
Dundlod Public School
Soyla